C.NO. 37/2014 उनवान गीता देवी V/S पूरणकरण

01/7/25
पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.।
पीठासीन अधिकारी SIR में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ....
बहस 212 .... दिनांक 30/7/25
को पेश हो।

30/7/25
पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.।
पीठासीन अधिकारी SIR में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ....
..बहस 212 .... दिनांक 20/8/25
को पेश हो।

20/8/25
पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अत: पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 24/9/25 को पेश हो।

24/9/25
पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.।
पीठासीन अधिकारी SIR में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ....
..........बहस .... दिनांक 12/11/2025
को पेश हो।

12/11/25
पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.।
पीठासीन अधिकारी चुनाव में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ....
..........बहस .... दिनांक 12/1/26
को पेश हो।

12/01/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उप.। वकील उभयपक्ष की धारा 212 RTA पर बहस सुनी गई। प्रा० पत्र अन्तर्गत 212 RTA को खारिज किया गया। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी कक्ष हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 37/2014

श्रीमती गीता पत्नी श्री श्योचन्द जाति– जाट, आयु 32 वर्ष, निवासिन– रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर हाल सुरसुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान । प्रार्थीया

विरूद्ध

1. सूरजकरण पुत्र श्रीराम जाति– जाट, निवासी रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर राजस्थान।
2. सोदान पुत्र श्रीराम जाति– जाट, निवासी रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर राजस्थान।
3. रामधन पुत्र श्रीराम जाति– जाट, निवासी रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर राजस्थान।
4. रघुनाथ पुत्र श्रीराम जाति– जाट, निवासी रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर राजस्थान ।
5. बलवीर पुत्र छोगाराम जाति– जाट, निवासी रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर राजस्थान ।
6. राजवीर सिंह पुत्र छोगाराम जाति– जाट, निवासी रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर राजस्थान ।
7. श्रीमती कंवरी देवी पत्नी श्री रामधन, जाति– जाट, निवासिन– रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर राजस्थान ।
8. श्रीमती डामरी पत्नी श्रीराम, जाति– जाट, निवासिन– रामनेर ढाणी तहसील किशनगढ व जिला अजमेर राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ। अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार
वकील अप्रार्थी श्री ध्रुव सिंह दिनांक 12.01.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 आपस में परिजन है तथा हेमा पुत्र मिश्रीलाल के वंशज है। प्रार्थीया के पति तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के संयुक्त अधिकार खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 18 रकबा 42 बीघा 9 बिस्वा ग्राम सांवतसर में अवस्थित है। जिसमें से 11 बिस्वा भूमि अतुल कुमार पुत्र मूलचन्द लुहाडिया को विकय की गयी एवं 2 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु सुरक्षित रखी गयी तथा शेष बची हुयी 41 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खसरा संख्या 18 कायम रहे। जो प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है। प्रार्थीया के पति श्योचन्द, नन्दाराम के अकेले जाइन्दा पुत्र सन्तान होने से उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्से के सहखातेदार रहे है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 प्रार्थीया उसके पति श्योचन्द एवं परिवारजन से रंजिश रखते है। प्रार्थीया के पति की सडक दुर्घटना के कारण कमजोरी का भी अप्रार्थीगण लाभ उठाते है। अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थीया के साथ गम्भीर मारपीट कर केन्द्रीय कारागृह में बन्दी हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने प्रार्थीया के पति की अशिक्षा एवं शारीरिक व्याधि का अनुचित लाभ उठाकर उपरोक्त खसरा संख्या 18 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा मे से 2 बीघा भूमि का बिना किसी प्रकार की प्रतिफल राशि देकर एक विकय विलेख 2 बीघा भूमि के बाबत अप्रार्थी संख्या 7, 8 के पक्ष में निष्पादित करवाया है। जिसके बाबत प्रार्थीया के पति एवं प्रार्थीया ने अन्य प्रकार से विधिक कार्यवाही प्रस्तावित कर रखी है जो प्रस्तुत वाद की विषयवस्तु नही है। प्रार्थीया के पति ने प्रार्थीया के पक्ष में उपरोक्त भूमि में स्वयं के बचे हुये शेष 716/2508 हिस्से बाबत दिनांक 13.1.2014 को उपहार प्रलेख निष्पादित किया हैं। जिसके आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 2103 दिनांक 29.1.2014 को सह खातेदारी मे दर्ज हो चुका है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 उपरोक्त 1/3 हिस्से के अप्रार्थी संख्या 5, 6 हिस्से 1/3 के अप्रार्थी संख्या 7 हिस्से 80/2508 की तथा अप्रार्थी संख्या 8 हिस्से 40/2508 की सहखातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीया के बच्चे छोटे छोटे है तथा प्रार्थीया के पति शारीरिक व्याधियो से ग्रसित है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 अपने संख्या अधिकता एवं बल प्रभाव के कारण प्रार्थीया के काश्त कार्यों में दखल अन्दाजी करते है तथा प्रार्थीया को धमकी देते है कि वह उपरोक्त भूमि से प्रार्थीया को बलात बेदखल करके रहेंगे। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से यह आग्रह किया कि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

उपरोक्त भूमि का अच्छे से अच्छे से एवं बूरे से बूरे विभाजन किया जावे। इस पर अप्रार्थीगण प्रार्थीया एवं उसके परिजन से आमादा फसाद होकर मारपीट कर चुके है। जिसकी पुलिस थाना गांधीनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पंजीबद्ध हो चुकी है एवं इसी दिनांक को अप्रार्थीगण के उपरोक्त आचरण से वाद कारण उत्पन्न हुआ । राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार विभाजन करवाना हर संह खातेदार का विधिक अधिकार है तथा विभाजन बिना प्रार्थीया अपने उपरोक्त भूमि में निहित 716/2508 हिस्से पर सुधार विकास कार्य नही कर पा रही है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को उसके हको से वंचित करने के लिये नाजायज गुट बनाकर प्रार्थीया एवं उसके परिजन के साथ काश्त कार्य करने पर विवाद कर मारपीट करते है। प्रार्थीया की आय जीवन यापन का साधन उपरोक्त भूमि पर काश्त आय से है। यदि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वह प्रार्थीया के उपरोक्त भूमि में निहित 716/2508 हिस्से में काश्त में बाधा नही करें, प्रार्थीया को बलात बेदखल नही करें, तो अप्रार्थीगण को कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके विपरीत यदि अप्रार्थीगण को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीया के हिस्से, अधिकार, खातेदारी में विभाजन पश्चात आयी भूमि में प्रार्थीया के काश्त कार्य में किसी प्रकार से बाधा नही करें, प्रार्थीया को बलात बेदखल नही करे। इस आशय की डिकी प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्व पारित की जावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2014 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की ओर से अधिवक्ता श्री ध्रुव सिंह उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि प्रार्थिया के पति तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 6 के संयुक्त अधिकार खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 18 रकबा 42 बीघा 01 बिस्वा ग्राम सांवतसर में स्थित थी जिसमें से 11 बिस्वा भूमि अतुल कुमार पुत्र मूल चन्द लुहाड़िया को विक्रय की गयी एवं 2 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु सुरक्षित रखी गयी तथा शेष बची हुई 41 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खसरा संख्या कायम रहे । उक्त पैरा के शेष कथन गलत व निराधार होने से पूर्णरूप से अस्वीकार है। प्रार्थिया के पति श्योचन्द द्वारा दिनांक 13.6.2013 को उक्त प्रार्थना पत्र अधीन आराजी का शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 को 12,00,000/— रूपये प्रति बीघा की दर से बेचान करना तय कर तीस लाख रूपये लेकर विक्रेता ने क्रेता से 3000,000/— रूपये साई पेटे की राशि दिनांक 13.6.2013 को नकद प्राप्त कर एक इकरारनामा 100/—रूपये के स्टाम्प नग एक तथा दो पाईप पेपरो पर रूबरू गवाहन टाईप कराकर अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर दिये तथा उक्त विक्रय इकरार को पब्लिक नोटेरी से तस्दीक करा दिया था तथा उक्त विक्रय इकरारनामा मे यह भी अंकन किया गया था कि बकाया सम्पूर्ण राशि मुझ विक्रेता द्वारा उक्त भूमि के तरमीम कराने के 6 माह पश्चात क्रेता से प्राप्त करना तय हुआ है । इस प्रकार साई राशि प्राप्ति हेतु अलग से रसीद की आवश्यकता नहीं है इस हेतु इकरारनामा ही प्रर्याप्त साक्ष्य है। प्रार्थिया का पति श्योचन्द पुत्र नन्दा उक्त खतरा नम्बर की आराजी की अपने हिस्से की शेष सम्पूर्ण आराजी का बैचान इकरारनामा 13.6.2013 को कर चुका है तो प्रार्थिया के हक में उसके पति द्वारा जो उपहार प्रलेख दिनांक 13.1.2014 को उप पंजीयक किशनगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध कराया है वह विधि विरुद्ध है तथा उसके आधार पर खोला गया नामान्तकरण शून्य है। प्रार्थिया को उक्त उपहार प्रलेख के आधार पर कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है । प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि प्रार्थिया के पति श्योचन्द नन्दाराम के अकेले जाईन्दा पुत्र सन्तान होने से उपरोक्त भूमि मे 1/3 हिस्सा के सहखातेदार है। उक्त पैरा के शेष कथन निराधार होने से पूर्णरूप से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 8 प्रार्थिया के पति श्योचन्द से एवं परिवार ते कोई रंजिश नहीं रखते है। तथा प्रार्थिया के पति की सड़क दुर्घटना के कारण कमजोरी का भी अप्रार्थीगण लाभ नहीं उठाते है। अपार्थी संख्या 3 के विरूद्ध प्रार्थिया ने गलत व निराधार झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 3 को केन्द्रीय कारागृह अजमेर में बन्दी रहा था। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के कथन गलत व निराधार होने से पूर्णरूप से अस्वीकार है। प्रार्थिया के पति ने अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को प्रार्थना पत्र अधीन आराजी के अपने हिस्से की भूमि मे से 2 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिनांक 26.11.2013 को उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ़ मे रजिस्ट्री कराई गई है तथा उक्त बचान बाबत किसी तरह की कोई विधिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थिया के पति ने प्रार्थना पत्र अधीन आराजी के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी की दिनांक 13.6.2013 को अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में 12,00,000/– रूपये प्रति बीघा की दर से विक्रय इकरार कर तीस लाख रूपये बतौर साई पेटे विक्रय इकरार निष्पादित कर रूबरू गवाहनू तीन लाख रूपये प्राप्त कर लिये थे। जब प्रार्थिया के पति द्वारा उक्त खतरा नम्बर की 1/3 हिस्सा की सम्पूर्ण आराजी का विक्रय इकरार दिनांक 13.6.2013 को निष्पादित कर दिया था तो उसके पश्चात प्रार्थिया के पति का 716/2508 हिस्सा कहा से शेष रह गया तथा दिनांक 13.1.2014 को जो उपहार,प्रलेख प्रार्थिया के पति ने प्रार्थिया के पक्ष में निष्पादित किया गया है तथा उसका पंजीयन कराया गया है वह दिखावटी है उसी दिखावटी उपहार प्रलेख के आधार पर प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में नागान्तकरण संख्या 2103 दिनांक 29.1.2014 को सहखातेदारी मे दर्ज किया गया है वह आरम्भ से शून्य है, विधि विरुद्ध है, बेअसर है । प्रार्थिया के पति द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन आराजी का 1/3 सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय इकरार अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष मे 100/– रूपये के स्टाम्प नगष्ठ एक तथा दो पाईप पेपरो पर रूबरू गवाहन दिनांक 13.6.2013 को 12,00,000/– रूपये प्रति बीघा की दर से निष्पादित कर रूबरू गवाहान् तीस लाख रूपये साई पेटे की राशि प्राप्त कर चुका है जो विक्रय इकरार आज भी अस्तित्व में है। उक्त विक्रय इकरार को निरस्त करने की फिराक की वजह से प्रार्थिया के पति श्योचन्द ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का दिखावटी उपहार प्रलेख दिनांक 13.1.2014 को विधि विरूद्ध तरीके से उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ़ के यहां पंजीबद्ध करा दिया है जो विधि विरुद्ध है क्योंकि प्रार्थिया का पति पहले अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की आराजी का विक्रय इकरार दिनांक 13.6.2013 को अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में कर चुका है तो पश्चावर्ती अन्तरण स्वतः ही शून्य है, विधि विरूद्ध है। पश्चातवर्ती अन्तरण के आधार पर खोला म गया नामान्तकरण संख्या 2103 दिनांक 29.1.2014 आरम्भ ते विधि विरूद्ध उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड मे किया गया अमल विधि विरुद्ध है, शून्य है, अप्रार्थी संख्या 3 के हितो के प्रति बेअसर है तथा अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अपने हिस्से में स्वयं के खर्चे एक कुआं खुदवाया गया है। अतः श्रीमान् की सेवा मे जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे ।

3. दिनांक 12.01.2026 को वकील उभयपक्ष को सुना गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. का वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्से में काबिज काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत पेश किया गया है। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का. अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण वर्तमान में खातेदार है तथा राज.का. अधि. की धारा 53 के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा जाहिर है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– वादग्रस्त भूमि पर धारा 212 राज.का. अधि. के तहत पूर्व में किसी प्रकार का स्थगन आदेश, प्रार्थना पत्र में नहीं है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षतिः– प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्व हो कि अपूरणिय क्षति प्रार्थीया को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थीया सिद्व करने में असफल रहें है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान साक्ष्य व सुनवाई से तय किये जायेगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)